न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुश्री नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	तारीख दायर	अन्तिम निर्णय दिनांक
1/48	30.04.2024	08.09.2025

बउनवान

01. गुलाब सिंह पुत्र सुमरता जाति जाटव निवासी मोरेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0
02. टुण्डल पुत्र सुमरता जाति जाटव निवासी मोरेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0
03. दयाचन्द पुत्र सुमरता जाति जाटव निवासी मोरेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0
04. हरिसिंह पुत्र सुमरता जाति जाटव निवासी मोरेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0

वादीगण

बनाम

01. पप्पुराम पुत्र प्रभाती जाति जाटव
02. फुलबाई पत्नी स्व0 श्री जुम्मा जाति चमार
03. मनीराम पुत्र प्रभाती जाति जाटव
04. रामखिलारी पुत्र प्रभाती जाति जाटव
05. रामप्रसाद पुत्र प्रभाती जाति जाटव
06. सुभाष पुत्र स्व0 श्री जुम्मा जाति जाटव
07. सुरेश पुत्र स्व0 श्री जुम्मा जाति जाटव निवासियान ग्राम मोरेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0

असल प्रतिवादी

08 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मालाखेडा भू. स्वामी मालाखेडा तहसील जिला अलवर राज0

तकमीली प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

वादीगण ने अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि हाल आराजी नया खाता संख्या 67 व पुराना खाता संख्या 173 मे वर्णित आराजी खसरा नम्बर 542/691 रकबा 0.18 हैक्टेयर, 576 रकबा 0.26 हैक्टेयर, 577 रकबा 0.26 हैक्टेयर, 578 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 580 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 581 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 582 रकबा 0.05

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

हैक्टेयर कुल किता 07 कुल रकबा 1.13 हैक्टेयर वाके ग्राम मोरेडा तहसील मालाखेडा में वादीगण का कमशः 3/32, 3/32, 3/32, 3/32 हिस्सा चला आ रहा है। मौखिक रूप से आपस मे वादीगण और प्रतिवादीगण ने बाहमी बँटवारा मौके पर किया हुआ है। जिसमें वादीगण के हिस्से में आराजी खसरा नम्बर 576 रकबा 0.26 हैक्टेयर, 542/691 रकबा 0.18 हैक्टेयर है। जिसमें वादीगण ने स्वयं खर्च से एक बोरिंग करावाई है और अपनी आराजी की सिंचाई करते है। विवादित आराजी वादीगण व असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस विवादित आराजी में वादीगण व प्रतिवादीगण का मुताबिक जमाबन्दी के हिस्सा चला आ रहा है। यह आराजी अविभाजित आराजी है। रिकॉर्ड मे अभी विधिक तकासमा नही हुआ है। रिकॉर्ड मुश्तर्का कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। वादीगण के हिस्सा आराजी से प्रतिवादीगण या अन्य किसी का कोई हक सम्बन्ध किसी प्रकार का नही है। विवादित आराजी वादीगण व असल प्रतिवादीगण के मुताबिक रिकॉर्ड शामलात कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिसमे प्रत्येक इंच पर वादीगण व असल प्रतिवादीगण का शामलात मे कब्जा काश्त खातेदारी का चला आ रहा है। प्रतिवादीगण असल बडे ही लडाकू मुठ मर्द किस्म के बेईमान व्यक्ति है जो विवादित आराजी में वादीगण के हिस्सा आराजी पर जबरन लठ के बल कब्जा करना चाहते है। वादीगण का बेदखल करना चाहते है। विना विधिक तकासमा कराये ही प्रतिवादीगण असल विवादित आराजी को दीगर लोगोको रहन, बय मुन्तकिल करना चाहते है। जिसका प्रतिवादीगण असल को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नही है। अब वादीगण का प्रतिवादीगण असल के साथ शामलात में काश्त करना मुश्किल हो गया है। इसलिए अब वादीगण जरिये अदालत सरस नरस के एवं अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी के आधार पर मुताबिक रिकार्ड तकासमा कराने का अधिकारी है। वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि डिक्रीतकसीम आराजी इस अमर के पारित की जावे कि हाल आराजी नया खाता संख्या 67 व पुराना खाता संख्या 173 मे वर्णित आराजी खसरा नम्बर 542/691 रकबा 0.18 हैक्टेयर, 576 रकबा 0.26 हैक्टेयर, 577 रकबा 0.26 हैक्टेयर, 578 रकबा 0. 15 हैक्टेयर, 580 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 581 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 582 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 07 कुल रकबा 1.13 हैक्टेयर वाके ग्राम मोरेडा तहसील मालाखेडा में वादीगण का कमशः 3/32, 3/32, 3/32, 3/32 हिस्सा चला आ रहा है। मौखिक रूप से आपस मे वादीगण और प्रतिवादीगण ने बाहमी बँटवारा मौके पर किया हुआ है। जिसमें वादीगण के हिस्से में आराजी खसरा नम्बर 576 रकबा 0.26 हैक्टेयर, 542/691 रकबा 0.18 हैक्टेयर है। जिसमें वादीगण ने स्वयं खर्च से एक बोरिंग करावाई है और अपनी आराजी की सिंचाई करते है। वादीगण का मुताबिक जमाबन्दी के हिस्से अनुसार तकसीम किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराये जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जावें। राजस्व रिकॉर्ड में आराजी की तकसीम करवाया जाकर नक्शे मे अमल दरामद हो। डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर फरमायी जाये कि प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वो वादीगण की उपरोक्त हिस्सा आराजी जबरन कब्जा ना करे। वादीगण को इससे बेदख लना करे वादीगण के कुल कार्य काश्त करने जोत, बोने करने फसल काटने सिमेटने, लाने लेजाने में किसी प्रकार से बाधा ना डाले। प्रतिवादीगण असल उपरोक्त अराजी को बिना तकासमा कराये दीगर लोगो को रहन, बय मुन्तकिल ना करे और किसी प्रकार मौका आराजी ना बदले।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 द्वारा जवाब पेश किया। प्रतिवादीगण ने उभयपक्ष के मौके पर कब्जानुसार विवादित आराजीयात के विधिवत विभाजन किये जाने पर अनापत्ति प्रकट की।

पत्रावली का अवलोकन व उभय पक्ष की बहस पर मनन पश्चात पत्रावली मे प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 03.02.2025 मे जारी की गयी कि तहसीलदार मालाखेडा को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 हाल आराजी नया खाता संख्या 67 व पुराना खाता संख्या 173 मे वर्णित आराजी खसरा नम्बर 542/691 रकबा 0.18 हैक्टेयर, 576 रकबा 0.26 हैक्टेयर, 577 रकबा 0.26 हैक्टेयर, 578 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 580 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 581 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 582 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 07 कुल रकबा 1.13 हैक्टेयर वाके ग्राम मोरेडा तहसील मालाखेडा का वादी व प्रतिवादी के मध्य मौके पर उभय पक्षकारान की उपस्थिति में अच्छी मे से अच्छी एवं बुरी मे से बुरी के आधार पर रिकार्ड व मौके के अनुसार रास्ते की सुविधा का ध्यान रखते हुए विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा बैरंग सुर्खी मे दर्शाते हुए प्रस्तुत करें।

उक्त वादपत्र के संबंध मे तहसीलदार मालाखेडा द्वारा अपने पत्र क्रमांक–भू.अ./2025/2922 दिनांक 11.07.2025 द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव पेश किये, जो निम्न प्रकार है:–

(1) पप्पूराम, मनीराम, रामखिलारी, रामप्रसाद पुत्रान प्रभाती समान भाग जाति जाटव सा0 देह खातेदार खसरा नम्बर 580 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 581 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 582 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.28 हैक्टेयर (पूर्ण हिस्सा)

(2) फूलबाई पत्नी स्व0 जुम्मा, सुभाष, सुरेश चन्द पुत्रान जुम्मा समान भाग जाति चमार सा. देह खातेदार खसरा नम्बर 577 रकबा 0.26 हैक्टेयर, 578/2 रकबा 0.09 हैक्टेयर, 542/691/2 रकबा 0.07 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.42 हैक्टेयर (पूर्ण हिस्सा तर्फ दक्षिण)

(3) गुलाब सिंह, टुण्डल, दयाचन्द, हरिसिंह पुत्रान सुमरता समान भाग जाति जाटव सा. देह खातेदार राहिनान बी.आर.के.जी.बी. शाखा बुर्जा, खसरा नम्बर 576 रकबा 0.26 हैक्टेयर, 578/1 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 542/691/1 रकबा 0.11 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.43 हैक्टेयर (पूर्ण हिस्सा तर्फ उत्तर)

बाद मुताबिक कुर्रेजात अन्तिम डिक्री किया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे पक्षकारान को खातेदारी दर्ज करने हेतु तहसीलदार मालाखेडा को आदेशित किया जाता है। इसी अनुरूप पर्चा डिक्री बनायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)